THE MINISTER OF COMMUNICATIONS AND TOURISM AND CIVIL AVIATION (SHRI RAJ BAHADUR): (a) and (b) The state Governments are already following the guidelines given by the Government of India for the security of Civil aviation.

(c) The Central Industrial Security Force has been inducted at Delhi Airport on 10th August, 1973 and will be brought into the three other international airports in a phased programme as early as possible.

डिजाइन डेवलपमेंट सेंटर (आल इंडिया हेंडिक्राफ्ट्स बोर्ड)

5793. **डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डिजाइन डेवलपमेंट सेंटर (आल इण्डिया हेन्डीक्राफ्ट्स बोर्ड) के कुछ कर्मचारियों को हाल में सेवामुक्त किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या क्या है ;

(ग) क्या इस सेंटर में कार्यरत अनेक कर्मचारी पर्याप्त समय के सेवा काल के बाद भी अभी तक अस्थायी हैं ; और

(घ) यदि हां, तो क्यों ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (घ) दिल्ली में अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड के क्षेत्रीय डिजाइन केन्द्र में काम इस प्रकार का है कि कर्मचारियों को दैनिक मजूरी पर रखने की आवश्यकता होती है। उनका रोजगार समय समय पर डिजाइनों के विकास से संबंधित काम की आवश्यकता पर निर्भर करता है। हाल में ऐसे 20 कर्मचारियों को काम से हटाना पड़ा था। शेष कुछ दैनिक मजूरी वाले कर्मचारी लम्बे समय से केन्द्र में काम कर रहे हैं। सरकार कुछ नियमित पदों के सृजन का प्रयास कर रही है।

मेसर्स जे० के० सिंथेटिक्स द्वारा जर्मन संघीय गणराज्य (एफ० आर० जी०) को तकनीकी जानकारी देना

5794. **डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कानपुर की एक फर्म, मेसर्स जे० के० सिंथेटिक्स ने जर्मन संघीय गणराज्य को एयनीन ग्लाइकोल संबंधी तकनीकी जानकारी उपलब्ध की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इसकी अनुमति दी है और इसका संक्षिप्त ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इससे कितनी विदेशी मुद्रा की आय हुई ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जाएगी।

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और सीमाशुल्क विभाग के कर्मचारी

5795. **डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय :**
श्री फूलचन्द वर्मा :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग के प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी के कितने अधिकारी गत 15 वर्ष से अधिक समय से दिल्ली में हैं, उनके नाम क्या हैं और वे किन कारणों से अभी तक दिल्ली में ही रुके हुए हैं ;

(ख) तृतीय श्रेणी से द्वितीय श्रेणी में और प्रथम श्रेणी में पदोन्नति प्राप्त इस समय कितने अधिकारी हैं और क्या इनमें से कोई ऐसा भी है जिसे दिल्ली में सेवा करते हुए 15 वर्ष से अधिक समय हो गया है ; और

(ग) यदि हां, तो प्रशासन में स्वच्छता लाने के लिये उसके स्थानान्तरण का विचार सरकार के विचाराधीन है, यदि हां, तो कब तक?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (ग) सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादनशुल्क विभाग का कोई ऐसा श्रेणी एक अधिकारी नहीं है, जो 15 वर्षों से अधिक समय तक दिल्ली में रहा हो ।

2. द्वितीय श्रेणी के निम्नलिखित अधिकारी दिल्ली में 15 वर्षों से अधिक समय से काम कर रहे हैं (इसमें द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी में की गई सेवा शामिल है) । इसमें दिल्ली स्थित कतिपय कार्यालयों के द्वितीय श्रेणी के ऐसे अधिकारी शामिल नहीं है, जिन्हें दिल्ली से बाहर स्थानान्तरित नहीं किया जा सकता ।

(क) श्री आर०एल० खन्ना : य नवंबर 1954 से हैं । इन्हें अक्तूबर 1966 में द्वितीय श्रेणी में पदोन्नत किया गया था जब वे राजस्व गुप्तचर्या निदेशालय में कार्य कर रहे थे । अगस्त, 1971 में राजस्व गुप्तचर्या निदेशालय से प्रत्यावर्तित होने पर, उन्हें जुलाई, 1973 में दिल्ली से बाहर स्थानान्तरित कर दिया जाता था । क्योंकि वे 'दिल्ली तथा चण्डीगढ़ द्वितीय श्रेणी कार्यकारी अधिकारी संस्था' के पदाधिकारी हैं, इसलिये उस संस्था की ओर से अनुरोध किया गया है कि श्री खन्ना को दिल्ली से बाहर स्थानान्तरित न किया जाये । यह अनुरोध अस्वीकार कर दिया गया है ।

(ख) श्री वाई० जी० पाटिल कुलकर्णी : ये सितंबर, 1956 से हैं । इन्हे अक्तूबर, 1966 से द्वितीय श्रेणी में पदोन्नत किया गया था । ये इस समय केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा सीमा शुल्क बोर्ड के कर अनुसंधान एकक में बहुत महत्वपूर्ण कार्य संभाले हुए हैं । वे प्रथम श्रेणी में पदोन्नत किये जाने वाले उम्मीदवारों में से हैं और उन्हें उक्त श्रेणी में पदोन्नत किये जाने की संभावना है । तब उन्हें दिल्ली से बाहर भेजने के प्रश्न पर विचार किया जायेगा ।

3. दिल्ली में सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादनशुल्क विभाग के विभिन्न कार्यालयों में कार्य कर रहे तृतीय श्रेणी के कार्यालयी अधिकारियों को, प्रशासनिक कारणों को छोड़कर, सामान्यतया स्थान्नातरित नहीं किया जाता है । श्रेणी ।।। के निम्नलिखित कार्यकारी अधिकारी 15 वर्ष से अधिक समय से दिल्ली में रहे हैं :

(1) श्री एच० आर० गुलाठी, निरीक्षक, केन्द्रीय उत्पादनशुल्क ।

(2) श्री आई० सी० गुप्त, निरीक्षक, केन्द्रीय उत्पादनशुल्क ।

(3) श्रीमती विद्या गिडवानी, निरीक्षक, केन्द्रीय उत्पादनशुल्क ।

(4) श्री बी० डी० गोस्वामी, निरीक्षक, केन्द्रीय उत्पादनशुल्क ।

1971 और 1973 के बीच केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के निरीक्षक के ग्रेड में अपनी पदोन्नति से पूर्व ये सभी चारों अधिकारी कार्यालयी ग्रेडों में कार्य कर रहे थे और इसलिये इनका स्थानान्तरण दिल्ली से बारह नहीं किया जा सकता था । श्री गोस्वामी का स्थानान्तरण अब राजस्थान को हो गया है और उन्हें शीघ्र ही उनके कार्यभार से मुक्त किये जाने की संभावना है । श्री गुलाठी के स्थानान्तरण के प्रश्न को मई, 1974 में सामान्य स्थानान्तरणों के दौरान उठाये जाने का प्रस्ताव है । श्री गुप्त और श्रीमती गिडवानी को दयाजनक कारणों पर दिल्ली में रख लिया गया है ।

Loan advanced by Nationalised Banks in Districts of West Bengal

5796. SHRI A. K. M. ISHAQUE:
SHRI S. N. SINGH DEO:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) the loan advanced by Branches of the nationalised banks in the Districts of West Bengal;